

अन्तिम डिक्री

विवरण

संख्या 148/19

धारा अंतर्गत 88, 93, 53, 198 RTA

निर्णय दिनांक 12/03/2022

समस्त - श्री विष्णु शर्मा, उपखण्ड अभिभाषक, बारां

उपस्थिति - अभिभाषक वादी

अभिभाषक प्रतिवादी

वाद शीर्षक

1. विष्णु कुमार पुत्र सुरजकुमार जारि मीना
2. गोबिंद कुमार पुत्र सुरजकुमार जारि मीना जवाहरि जॉर्ज वही मात मन्मथ कौशिक जारि सुरजकुमार जारि मीना विवाहीपण दुहाइ हकीम व जिला बारां

जवाब

1. राजभाषण सहाय जय हकीमवार, बारां
2. सुरजकुमार पुत्र चम्पालाल जारि मीना विवाहीपण दुहाइ हकीम व जिला बारां
3. चम्पालाल पुत्र चम्पालाल जारि मीना विवाहीपण दुहाइ हकीम व जिला बारां

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

प्रायः विभाजन प्रत्येक मनुष्य विवाह भारतीय पक्ष मात दुहाइ हकीम व जिला बारां जय हकीम-पुष्प विभाजन विवाह मात है :-

नाम जेसा	व्यय नं.	रकबा	जमात	जिला
1. विष्णु कुमार पुत्र सुरजकुमार जारि मीना सा. 58 रकबा 301 बारां	202	0.64	7.04	पुष्प
2. गोबिंद कुमार पुत्र सुरजकुमार जारि मीना सा. 58 रकबा 301 बारां	202	0.64	7.04	पुष्प
3. सुरजकुमार पुत्र चम्पालाल जारि मीना सा. 58 रकबा 301 बारां	205	0.54	3.94	

उपरोक्त विवाह भारतीय पक्ष मात पुष्प-पुष्प विभाजन जय हकीमवार, बारां को आदेशित किया जाता है

साथ ही नियमानुसार रु० का व्ययानुतोष द्वारा को प्रदान किया जाए। उक्त आदेश में हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 12/03/2022 को निर्गत किया गया।

हस्ताक्षर  
उपखण्ड अधिकारी, बारां

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1	वाद पत्र/लिखित कथन (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
2	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
3	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
4	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
5	पारिश्रमिक अभिभाषक		

विधि नमूना १४ की दिशा में जारी आर ए एम  
उपखण्ड अधिकारी वारां जिला वारां द्वारा अधिसूचित

प्रकरण सं 148/19 दादा

दादरा दिनांक :- 3-12-19

विधि दिनांक :- 17-12-21

उपखण्ड

1. विकास कुमार् उग्र प्रलोकन जारी मीणा
2. गोकुल कुमार् उग्र प्रलोकन जारी मीणा गंगा जर्म कर्म मंग मन्त्रवादी  
मनी प्रलोकन जारी मीणा विकास बूढ़ा तह कारां

बनाम

1. राज-सल्ला जर्म तहमीशार कारां
2. प्रलोकन उग्र चम्पालाल जारी मीणा विकास बूढ़ा तह कारां
3. चम्पालाल उग्र चम्पालाल जारी मीणा विकास बूढ़ा तह कारां

काद म्म धारा 88, 89, 53, 188 RTA

विधि दिनांक :- 17-12-21

अधिसूचित जारी म्म द्वारा काद म्म अधिनियम धारा 88, 89, 53, 188  
RTA विरुद्ध जारी जारी म्म के न्याया- से इत आग्रह का पत्र किया गया  
के उक्त बूढ़ा तहमीशार कारां से आराजी फाल सं. 113 के ख. वे. 202 रकबा  
1-28 हे. ख. वे. 205 रकबा 0.54 हे. कुल खिरा 2 रकबा 1-82 हे. खिरा है  
उक्त आराजी का खानेवाट प्रलोकन जारी जारी म्म 2 है उक्त आराजी को  
विकास आराजी के नाम से अधिसूचित किया है। जारी म्म 2 गवाट है जो कर्म  
गंगा मन्त्रवादी के संरक्षण से रह कर पक्षिस्थ पा रख है नाम की कोट है  
जर्म न्याय मंत्र मन्त्रवादी को संरक्षण बनाम जाकर काद म्म पत्र पत्र किया गया  
है उक्त आराजी पत्रक संरक्षण है जो जारी जारी म्म 3 जारी म्म के विरुद्ध को  
खानेवाटी से कर भी एवं जारी म्म जारी जारी म्म 3 उक्त पत्र के है उक्त आराजी  
से उक्त पेशी एक ठेका बिराम जाद उका है जिसे वे जाद को के कारां  
आदेशकारी है। एवं अधिकारी की घोषणा करीत है काद म्म पत्र किया है  
विकास आराजी से 1/3, 1/3 हिस्सा जारी जारी म्म के अधिकारी है जिसे वे बंधक  
करा कर कर्मनी इपक खानेवाटी से कर करीत है अधिकारी है। जारी म्म जारी जारी म्म  
जारी म्म से विवेक किया है वे उक्त एक ठेका के उक्त नाम उक्त करार  
उक्त नाम खानेवाटी राजस डिकार्ड से उक्त करार किया जारी जारी म्म जारी जारी म्म  
संबंध न करे एवं अधिनियम काद उक्त है दिनांक 15-9-19 को कहे पर भी  
कोर वधमो नही करे पर अधिनियम काद काद काद उक्त उक्त। जारी म्म  
द्वारा काद म्म स्वीकार करे का विवेक किया है -x-x-x-

समाप्त 2

उपखण्ड अधिकारी  
वारां

बाड़ी का बाड़ दर्ज रखि कए जई बाड़ी गज को जई जग  
 तखन किना गज। जई बाड़ी गज कानून द्वारा के न्याय के उप की खेने के  
 कारण उनके बिबु एक तामा न्यायकारी की गज। बाड़ी गज ने अपन फल के  
 सामान से नकल जमावदी जग पूजा ककर 2070-73 खारा से 28, नकल  
 जमावदी जग पूजा ककर 2070-73 खारा से 113, नकल जमावदी जग पूजा  
 सन्कर 2046-49, जेस की गज। सामान बाड़ी से जोखुष कृपाए उय प्रकल्प  
 का शपथ पत्र जेस किना।

कए अविभाषक बाड़ी एक तामा पुनी गज दहक के  
 दौरा कबील बाड़ी मर बाड़ पत्र से अंकि तमो के देखाया गज।  
 कबील बाड़ी का ककर से कि बिबादि आरानी के उल सुबुदा  
 तह कारा में रखि से बिबादि आरानी बाड़ी के दादा चमालाल के  
 खोलेदारी की से जो पैत्रक छरि से बाड़ी गज ककर से बाड़ी गज ककर  
 दादा के खोलेदारी की आरानी से एक कपना एक न बिना जग कले का  
 अधिकारी से पैत्रक छरि से बाड़ी गज का गज है से एक न बिना  
 बिबादि से बाड़ी गज का बाड़ स्वीकार किना गज।

कए अविभाषक बाड़ी एक तामा पुनी गज पत्रावदी से  
 रिकार्ड का अवलोकन किना गज। नकल जमावदी जग पूजा सन्कर 2070-73  
 खारा से 28 से चमालाल उय चंडालाल का गज दर्ज रिकार्ड से नकल जमावदी  
 जग पूजा सन्कर 2070-73 खारा से 113 से प्रकल्प उय चमालाल का गज  
 रागद रिकार्ड से दर्ज है। नकल जमावदी जग पूजा सन्कर 2046-49 से  
 चमालाल उय चंडालाल के खोलेदारी से दर्ज से इहे मर जादि मर से  
 कि बिबादि आरानी पैत्रक आरानी से किने बाड़ी गज का बिना बिबादि  
 से बाड़ी गज ककर। बिना जग कले का अधिकारी से बाड़ी गज का बाड़  
 स्वीकार किना गज। न्यायकारी है।

डिवाल्सक आदेश

उपरोक्त बिबनाउता बाड़ी गज का बाड़ स्वीकार किना  
 जाल से बिबादि आरानी के उल सुबुदा तह कारा के ख. नं. 202 रकबा  
 1-28 से ख. नं. 205 रकबा 0.54 से के बाड़ी गज को  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{3}$  हिस्से का  
 खोलेदारी कृषक घोषित किना गज। तहमिलजत कारा को बिबादि कारणी  
 का उपक-उपक बिभाषक कए बिभाषक उतार किना से उय खोलेदारी  
 किना गज से जई बाड़ी गज को जग ककरणी बिभाषक से पाउ किना  
 जाल से कि बाड़ी गज के खोलेदारी से कले कागज से बिबादि जग की  
 उल ककरणी नही करे। नरुकरुप बिबि पत्रावदी की है।  
 निर्णय बिबाना जगल से उलखत हुना गज।

W.L.  
 (उपरोक्त अधिकारी  
 की से  
 उपरोक्त अधिकारी कारा)

उपखण्ड अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, बारां जिला-बारां (राज.)

उपखण्ड डिक्री

संख्या	148/19	धारा अंतर्गत	88, 89, 53, 188 RTA	निर्णय दिनांक	17-12-21
समक्ष	श्री दिवांशु झा जी आर ए एन उम कण्ड अधिकारी बारां				
उपस्थिति - अभिभाषक वादी	श्री हजकिशोर झा जी		अभिभाषक प्रतिवादी		


**वाद शीर्षक**

- विकास कुमाल उम झलकरण गाँव मीणा
  - गोपबल कुमाल उम झलकरण गाँव मीणा नावा. जम नदी नारा न-यू का पत्नी झलकल गाँव मीणा विवारी हुमडा तह. करा
- बनात
- राज. साकार जम तहरीलजाल करा
  - झलकरण उम चम्पालाड गाँव मीणा विवारी हुमडा तह. करा
  - चम्पालाड उम चम्पालाड गाँव मीणा विवारी हुमडा तह. करा

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनु रूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

कवि गज का वाड स्वीकार किया जाय है विवादित आराजी को उम हुमडा तह. करा के ख.सं. 202 रकवा 1.28 हे. ख.सं. 205 रकवा 0.54 हे. में कवि गज को 1/3 1/3 हिस्से का खारेजल क्लम घोषित किया जाय है तहरीलजाल करा को विवादित आराजी का शुद्ध-धुन विगजल कल विगजल जल विवाद हेतु विदित किया जाय है जो करी गज को जम स्फारी विधायक पावड किया जाय है कि कवि गज के खारेजरी एवं कल्ले काशन के कवि उमाल की दल्ल अन्दाजी नही करे।

साथ ही नियमानुसार ..... रू० का व्ययानुतोष ..... द्वारा ..... को प्रदान किया जाए।  
 उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 17-12-21 को निर्गत किया गया।

  
 उपखण्ड हस्ताक्षरिका  
 उपखण्ड अधिकारी, बारां

व्ययानुतोष		
क्र.सं.	व्यय मद	प्रतिवादी
1	वाद पत्र/लिखित कथन (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)	वादी
2	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)	
3	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)	
4	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)	
5	पारिश्रमिक अभिभाषक	
6	व्यय साक्षी	
-	न्याय कमिश्नर	